सं. ए-42011/01/2023-समन्वय

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

समन्वय प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली,

दिनांक: 2 फ़रवरी, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय- मंत्रिमंडल के लिए नवंबर, **2023 माह प्रमुख गतिविधियों पर मासिक सारांश**

अधोहस्ताक्षरी को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों पर अवर्गीकृत मासिक सारांश की एक प्रति नवंबर, **2023** के माह के लिए अग्रेषित करने का निदेश दिया गया है।

सलग्नक: यथोपरोक्त

हरि मोहन झा 02/02/2024

(हरि मोहन झा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष- 23062387

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।

संलग्नकों सहित अग्रेषित प्रति:

1. भारत सरकार के सभी सचिव
2. आईटी सेल, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

<u>अनुलग्नक</u>

नवंबर, 2023 माह के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों/घटनाओं का सारांश

(i) स्वच्छ भारत मिशन

- सभी 4,884 यूएलबी को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया गया है, जिनमें से 4,355 शहरों को तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, 3,547 शहरों को ओडीएफ+, 1191 शहरों को ओडीएफ++ और 14 शहरों (इंदौर, सूरत, नई दिल्ली) के रूप में प्रमाणित किया गया है। नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), तिरूपति, चंडीगढ़, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, हैदराबाद, ग्रेटर विशाखापत्तनम, कराड, पंचगनी, भोपाल, बारामती और मैसूर) को वाटर+ के रूप में प्रमाणित किया गया है।

- 3,326 से अधिक शहरों में 67,407 शौचालय "एसबीएम शौचालय" के नाम से मानचित्र पर लाइव हैं। 2,147 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, इकाइयां नवंबर 2023 में पूरी हो गई हैं। महीने में एसबीएम ने भी उपलब्धि हासिल की है) 219 वार्डों में 100% घर-घर संग्रह में वृद्धि हुई है;) 100% स्रोत पृथक्करण में 130 वार्डों की वृद्धि हुई है।

- स्वच्छता ऐप नागरिकों को उनकी शिकायतों को संबंधित नगर निगम द्वारा संबोधित करने में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। स्वच्छता ऐप में कुल 2.08 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 2.55 करोड़ शिकायतें पोस्ट की हैं, जिनमें से 2.39 करोड़ शिकायतों का समाधान किया गया है, जिनमें से 94% से अधिक का समाधान हुआ है।

- जीएफसी 2022 का परिणाम 01 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह 2022 के भाग के रूप में घोषित किया गया था। 7-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 1 है, 5-स्टार प्रमाणन 11 है, 3-स्टार प्रमाणन 199 है और 1-स्टार प्रमाणन है। कचरा मुक्त शहरों (जीएफसी) के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत प्रमाणीकरण 234 है।

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा "विश्व शौचालय दिवस" (19 नवंबर 2023 को) मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय मंत्री (आवास और शहरी मामले), सचिव (एचयूए) के साथ

सुलभ इंटरनेशनल, एचयूएल, यूनिसेफ भी शामिल थे। इस कार्यक्रम में बीएमजीएफ, आईएससी-फिक्की और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

- शहरी स्वच्छता की जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए, एसबीएम-यू 2.0 के लिए पार्टनर्स फोरम भी लॉन्च किया। फोरम विकास साझेदारों और सेक्टर साझेदारों से परे, कॉरपोरेट्स, पीएसयू, लाइन मंत्रालयों / क्षेत्र से जुड़े विभागों, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग संस्थानों आदि के लिए साझेदारी की कल्पना करता है। पार्टनर्स फोरम को अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सेवाओं, ओ एंड एम मॉडल सहित सहयोग के संभावित क्षेत्रों के साथ लॉन्च किया गया है। , संचार और आउटरीच, प्रौद्योगिकी, आईटी-सक्षमता और ज्ञान प्रबंधन, क्षमता निर्माण, आईईसी/बीसीसी, अनुसंधान और अध्ययन आदि।

- इस कार्यक्रम में सुरक्षित स्वच्छता पर केंद्रित कई दिलचस्प विषयों पर व्यावहारिक चर्चाएँ हुईं। कार्यक्रम के दौरान, एनबीसीसी ने एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से नए महत्वाकांक्षी शौचालयों के डिजाइन प्रदर्शित किए, जो स्मार्ट, स्वच्छ सार्वजनिक सुविधाओं की ओर बदलाव का प्रतीक है। भारत स्वच्छता गठबंधन, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, सुलभ इंटरनेशनल, जीएलडब्ल्यूए, निजी संस्थाओं, शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों आदि के विभिन्न विकास भागीदारों और कॉरपोरेट्स ने स्वच्छता और सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय में यात्रा के अपने अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम में विभिन्न सेक्टर भागीदारों, विकास भागीदारों, राज्य और शहर के अधिकारियों और कॉरपोरेट्स से 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- वर्तमान में एसआईआईसी आईआईटी कानपुर द्वारा 20 स्टार्टअप को इनक्यूबेट किया जा रहा है और 12 स्टार्टअप को 5 लाख रुपये की पहली किश्त जारी की गई है। वर्तमान में, 25 स्टार्टअप्स के नए समूह के लिए आवेदन के लिए कॉल खुली है और लगभग 300 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

ii. स्मार्ट सिटी मिशन

- 1,71,358 करोड़ रुपये की 7,967 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 1,21,213 करोड़ रुपये की 6,358 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

- नवंबर माह के दौरान 6,960 करोड़ रुपये की 165 अतिरिक्त परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

- शहरी मोबिलिटी बढ़ाने की दिशा में, स्मार्ट शहरों ने 1268 स्मार्ट मोबिलिटी परियोजनाओं को पूरा कर लिया है, 13,326 करोड़ रुपये के निवेश से 411 परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं।

- नदी/झील के किनारों, पार्कों और खेल के मैदानों और पर्यटन स्थलों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर ध्यान देने के साथ, 1,129 जीवंत सार्वजनिक स्थल परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, और लगभग 5,179 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 246 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। हमारे शहरों को और अधिक रहने योग्य और सुस्थिर बनाने की दिशा में, 1,240 वॉश परियोजनाएं और 609 स्मार्ट ऊर्जा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा, 285 वाश और 78 स्मार्ट ऊर्जा परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं।

III. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

i. आज की तारीख में, मिशन के तहत 83,146 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएं शुरू की गई है। 42,658 करोड़ रू. की लागत वाली 5,148 परियोजनाओं पर काम पूरा हो चुका है। 40,246 करोड़ रू. की 754 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर, अमृत परियोजना का लगभग 75,002 करोड़ रुपये का वास्तविक कार्य पूरा हो गया है/हो रहा है।

ii. अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना कार्यान्वयन (पूर्ववर्ती जेएनएनयूआरएम की पात्र परियोजनाओं सहित), प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (ए एंड ओई), सुधार प्रोत्साहन और अमृत शहरों में' और '25 चयनित शहरों में स्थानीय क्षेत्र योजना (एलएपी) और टाउन प्लानिंग योजनाएं (टीपीएस) में 'जीआईएस आधारित मास्टर प्लान के निर्माण' पर उप-योजनाओं के तहत 40,343 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

iii. अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 6,894 परियोजनाओं के लिए राज्य जल कार्य योजनाएं प्रस्तुत की जा चुकी हैं, जिनकी (ओ एंड एम सहित) लागत 1,53,574 करोड़ रूपए हैं। 1,03,258 करोड़ रुपये की 4,617 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई हैं। 71,718 करोड़ रुपये की 3,332 परियोजनाओं के लिए एनआईटी जारी की गई। 34,173 करोड़ रुपये की 1,958 परियोजनाओं पर काम प्रगति पर है और 429 करोड़ रू. की 264 परियोजनाओं पर कार्य पूरा हो चुका है।

iv. अब तक अमृत 2.0 के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 6,907.89 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर, रु. अमृत 2.0 के विभिन्न घटकों जैसे परियोजनाओं और ए एंड ओई के तहत 7,439.95 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ।

IV. दीनदयाल अन्त्योदय योजना /राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई/एनयूएलएम)

i. चालू वित्तीय वर्ष के सितंबर माह के दौरान 8,825 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया है; 5,202 एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड दिया गया; 8,694 लाभार्थियों को व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण प्रदान करने में सहायता प्रदान की गई और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को 33,105 लाभार्थियों को ऋण प्रदान किए गए हैं।

V. पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मा निर्भर निधि (पीएमस्वनिधि)

i. पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (पीएमस्वनिधि) के तहत 96,42,120 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 78,71,526 स्वीकृतियां और 74,09,554 संवितरण किए गए हैं।

ii. अक्टूबर, 2023 के महीने के दौरान मिशन के तहत कुल ₹ 0.74 करोड़ जारी किए गए हैं।

VI. आवास

- नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है, जो नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।
- 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (नियमित - 27, अंतरिम - 05) की स्थापना की है। लद्दाख, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में अभी तक रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की स्थापना नहीं हुई है।
- 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (नियमित -24, अंतरिम - 04) की स्थापना की है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख , मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में अभी तक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं हुई है।
- 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 29 विनियामक प्राधिकरणों ने रेरा के प्रावधानों के तहत अपनी वेबसाइटें परिचालित कर दी हैं। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में अभी भी परिचालन शुरू होना बाकी है।
- 26 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने निर्णायक अधिकारी नियुक्त किए हैं। 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख ने अभी तक निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है।
- देश भर में 1,16,827 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और 82,800 रियल एस्टेट एजेंटों ने रेरा के तहत पंजीकरण कराया है।

- देश भर में रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरणों द्वारा 1,16,572 शिकायतों का निपटारा किया गया है।

रीयल एस्टेट (विनियम एवं विकास) अधिनियम 2016 के तहत की गई प्रगति (04.12.2023 तक)

- नवंबर 2023 में 915 रियल एस्टेट परियोजनाएं रेरा के तहत पंजीकृत की गईं।
- माह नवम्बर 2023 में 260 रियल एस्टेट एजेंटों को रेरा के तहत पंजीकृत किया गया है।
- नवंबर 2023 के महीने में देश भर में विभिन्न रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरणों द्वारा 764 शिकायतों का निपटारा किया गया है।

मॉडल किरायेदारी अधिनियम

- जनगणना-2011 के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में लगभग 1.1 करोड़ आवास खाली पड़े थे क्योंकि मकान मालिक अपने परिसर को किराए पर देने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी ओर, 2012 में शहरी आवास की कमी पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानतः 187.8 लाख शहरी आवासों की कमी है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मौजूदा किराये कानून परिसर को किराए पर देने से रोकते हैं और इसमें लंबे समय से कानूनी प्रावधान हैं। परिसर को किराये पर देने को बढ़ावा देने और शीघ्र विवाद समाधान सुनिश्चित करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल किरायेदारी अधिनियम तैयार किया है।

- एमटीए का लक्ष्य मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों और अधिकारों को जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से संतुलित करना है और एक त्वरित विवाद समाधान तंत्र निर्धारित करना है। एमटीए किराये के उद्देश्य के लिए खाली परिसरों को खोलने में सक्षम करेगा और एक जीवंत और सुस्थिर किराये का बाजार तैयार करेगा।

- 2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, एमटीए को नए कानून बनाकर या एमटीए की तर्ज पर मौजूदा किराये कानून में उपयुक्त संशोधन करके अपनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के साथ साझा किया गया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों ने एमटीए के पहले के मसौदे के आधार पर किरायेदारी अधिनियमों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है और उनसे अपने किरायेदारी कानूनों को एमटीए के नवीनतम संस्करण के साथ संरेखित करने का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एमटीए के नवीनतम संस्करण की तर्ज पर असम किरायेदारी अधिनियम, 2021 को असम राज्य में अधिनियमित किया गया है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर, 2023 को (i) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किरायेदारी विनियमन, 2023, (ii) दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023 और (iii) लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 को भी मंज़ूरी दे दी है।

- देश भर में एमटीए को जल्द से जल्द अपनाना सुनिश्चित करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार संपर्क में है।